न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/164

कस्तूरी बाई पत्नी पन्ना लाल जी आयु 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 02 सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. अग्रवाल समाज सुल्तानपुर सभ भवन जरिये अध्यक्ष ।
2. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बाबू लाल योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया । उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 556 की 5.54 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि सिवायचक दर्ज है । उक्त भूमि में से 0.48 हैक्टर भूमि पर प्रार्थिनी का पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त चली आ रही है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज है । खसरा नम्बर 56 की अन्य भूमि जिसमें से अप्रार्थी कम 2 द्वारा अप्रार्थी कम 1 को 0.12 हैक्टर भूमि आवंटन कर दी गई और अप्रार्थी कम 2 खसरा नम्बर 556 की अन्य भूमि 0.12 हैक्टर पर कब्जा न कर प्रार्थिनी के द्वारा भूमि को समतल कराई गई जिसमें 0.48 हैक्टर भूमि पर प्रार्थिनी का पिछले 30 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, अप्रार्थीगण उक्त भूमि से प्रार्थिनी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने पर आमादा हैं ।

3. अतः ताफैसला दावा प्रार्थिनी के पख में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थिनी को उक्त भूमि से बदेखल नहीं करे और उसके कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.09.2013 के द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2013 से व्यथित होकर प्रार्थिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । उक्त भूमि पर प्रार्थिनी अपीलान्ट का पिछले 30–35 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थीगण प्रार्थिनी को उसके कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसे रोकने हेतु प्रार्थिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । प्रार्थिया गरीब ग्रामीण, अशिक्षित महिला है जिसे उनके वकील साहब ने उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं दी । प्रार्थिया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.12.2015 को उनके वकील साहब द्वारा दी गई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 556 रकबा 5.54 हैक्टर में से 0.48 हैक्टर भूमि पर पिछले 30–35 वर्षो से काबिज काश्त चली आ रही है । इस तथ्य को अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कर दिया था । इसके बावजूद प्रार्थिनी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपीलान्ट उक्त आराजी पर परिवार के साथ निवास कर रही है । प्राप्त फसल की आय से परिवार का गुजर बसर होता है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना अपीलान्ट के पक्ष में है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है । अपीलान्ट को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी के बाबत् प्राप्त नहीं है । आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का ही है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2013 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम सुल्तानपुर की आराजी खसरा नम्बर 556 रकबा 5.54 हैक्टर में से 0.48 हैक्टर भूमि पर स्वयं का कब्जा बताते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी हक घोषणा की प्रार्थना की है और इसी दावे में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है ।

12. पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली पर संलग्न मौका रिपोर्ट तहसीलदार, दीगोद के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 556 रकबा 5.54 हैक्टर सिवायचक दर्ज है और इस पर मौके पर कोई फसल नहीं है । इस खसरा नम्बर में से 0.12 हैक्टर आराजी अग्रवाल समाज को आवंटित हो चुकी है । धाकड समाज द्वारा छात्रावास हेतु 0.80 व माली समाज द्वारा छात्रावास हेतु 0.80 हैक्टर भूमि चाही जाने से प्रस्तावित कर रखी है । पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 556 रकबा 5.54 हैक्टर आराजी सरकारी सिवायचक है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 1290 और 1464 का नोट अंकित है । नामान्तरकरण संख्या 1464 के अनुसार इस आराजी में 0.12 हैक्टर भूमि में अग्रवाल समाज का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिसमें से 0.12 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खाते में दर्ज हो चुकी है । अपीलान्ट ने सरकारी सिवायचक भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी हक घोषणा का दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है और इस दावे में पेश किया प्रार्थना पत्र भी मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थिनी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2013 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा